भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 862

25 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

निजी संस्थाओं को धोखाधड़ी से सार्वजनिक भूमि का हस्तांतरण

862 श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान निजी संस्थाओं को धोखाधड़ी से सार्वजनिक भूमि हस्तांतरित किए जाने के मामलों का वर्ष वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है;
(ग) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या यह सच है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): "भूमि और उसका प्रबंधन" राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। निजी संस्थाओं को धोखाधड़ी से सार्वजनिक भूमि हस्तांतरित किए जाने से संबंधित किसी भी प्रकार के आकड़े केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। यद्यपि, जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संबंध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण; भूमि और विकास कार्यालय, भारत सरकार; दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, उनके संगठनों में निजी संस्थाओं को धोखाधड़ी से कोई भी भूमि हस्तांतरित नहीं की गई है।

(घ) और (ड.): भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भूमि अधिग्रहण संविधान की अनुसूची VII की सूची III की प्रविष्टि संख्या 42 के अनुसार

एक समवर्ती विषय है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 सहित विभिन्न राज्य और केंद्रीय अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाता है। कुछ राज्य सरकारों, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अपने-अपने राज्यों में इसकी प्रयोज्यता के संबंध में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में संशोधन किए गए हैं।
